माननीय जवाहर लाल गुप्ता, जे.

तारा चंद- *याचिकाकर्ता*

बनाम

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा- *प्रतिवादी*

CWP. No 11127 of 1988

4 मार्च, 1992

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/227—अनिवार्य *सेवानिवृत्ति-दक्षता* सीमा *को पार करने से पहले प्रतिकूल रिकॉर्ड- ऐसे रिकॉर्ड पर विचार-पुरानी और अप्रचलित सामग्री-ऐसी सामग्री पर निर्भरता चाहे अनुमत हो।*

यह अभिनिर्णित किया गया कि याचिकाकर्ता को दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी, दक्षता सीमा को पार करने से पहले के रिकॉर्ड को ध्यान में नहीं रखा जा सकता था।वर्ष 1969 के बाद के रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया है। इस तरह की पुरानी और पुरानी प्रविष्टियों पर निर्भरता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के शासन के विपरीत है। (पैरा 7)

आगे यह अभिनिर्णीत किया गया कि याचिकाकर्ता के मामले के नकारात्मक पहलू पर विचार करते समय, यह तथ्य भी प्रासंगिक था कि याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया गया है, पुष्टि की गई है, पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है और दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति भी दी गई है।यह सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का संचयी प्रभाव है जिसे मामले का निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। जबकि नकारात्मक पहलू पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया है, सकारात्मक पहलू को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था और इस प्रकार का विचार उचित नहीं है। (पैरा 9)

याचिकाकर्ता की ओर से *अधिवक्ता के. एस. कीर।*

प्रतिवादी की ओर *से अधिवक्ता जसवंत सिंह।*

न्याय

जवाहर लाल गुप्ता, जे. (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता यहाँ सेवा से अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश से व्यथित है। कुछ स्वीकृत तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है।

(2) याचिकाकर्ता को 25 नवंबर, 1962 को कांस्टेबल के रूप में नामांकित किया गया था। लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद, याचिकाकर्ता को 10 अगस्त, 1974 को हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें 16 नवंबर, 1977 से एक कांस्टेबल के रूप में और 4 दिसंबर, 1980 से हेड कांस्टेबल के रूप में पुष्टि की गई थी। उन्हें 1 अप्रैल, 1985 से हेड कांस्टेबल के रूप में दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, 8 जनवरी, 1988 के विस्तृत पत्र में याचिकाकर्ता को पंजाब पुलिस नियम, 1934 के खण्ड । के नियम 9,18 (2) के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त क्यों नहीं किया जा सकता है, इसका कारण बताने के लिए एक नोटिस दिया गया था। इस सूचना में, दंड के 11 आदेशों और याचिकाकर्ता की सेवा के रिकॉर्ड पर मौजूद 10 प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया था। अभिलेख के इस विवरण पर, यह निष्कर्ष निकालने की मांग की गई थी कि याचिकाकर्ता "एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी उपयोगिता समाप्त कर चुका *है* और आगे सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है" याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया-12 फरवरी, 1988 के पत्र के माध्यम से। 3 दिसंबर, 1988 को रोहतक के पुलिस अधीक्षक द्वारा स्टेशन हाउस अधिकारी को दिए गए निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था। प्रतिवादी की कार्रवाई से व्यथित याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका द्वारा इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(3) प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित बयान में यह *अन्य बातों* के साथ-साथ कहा गया है कि याचिकाकर्ता का "खराब प्रतिष्ठा के साथ एक चेकर रिकॉर्ड था।" यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता को 22 अप्रैल, 1975 से "अनधिकृत यातायात जांच करने" के लिए एक साल की सेवा जब्त करने की सजा दी गई थी। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 10 प्रतिकूल प्रविष्टियों को विधिवत उन्हें सूचित किया गया था और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के माध्यम से उनकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थे। यह आगे बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त प्रशंसा प्रमाण पत्र उसे "ऊपर बताए गए उसके कदाचार और प्रतिकूल टिप्पणियों आदि के लिए" दी गई बड़ी सजा को रद्द नहीं कर सकते हैं।याचिकाकर्ता ने एक प्रतिकृति दायर की है।

(4) मैंने याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता श्री के. एस. कीर और प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह को सुना है।मैंने श्री जसवंत सिंह द्वारा निर्मित मूल अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

(5) अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक की टिप्पणियां याचिकाकर्ता द्वारा 12 फरवरी, 1988 को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर प्राप्त की गई थीं। इसके बाद, *26* अक्टूबर, 1988 के पत्र के माध्यम से, पुलिस महानिदेशक ने वित्त आयुक्त और हरियाणा सरकार के सचिव (गृह विभाग में) को नियम 9,18 (2) के तहत याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए इस आधार पर सिफारिश की कि वह "एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी उपयोगिता समाप्त कर चुका है"। राज्य सरकार ने 22 *नवंबर,* 1988 के पत्र के माध्यम से आवश्यक मंजूरी प्रदान की। तदनुसार, याचिकाकर्ता को 3 दिसंबर, 1988 से सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया गया था।

(6) अभिलेख के अवलोकन से संकेत मिलता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते समय, उसे दिए गए सभी दंडों के साथ-साथ सेवा के पूरे कार्यकाल के दौरान दर्ज प्रतिकूल रिपोर्टों को भी ध्यान में रखा गया है। यह आगे प्रतीत होता है कि जबकि दिए गए दंड और प्रतिकूल रिपोर्टों को ध्यान में रखा गया था, याचिकाकर्ता की पदोन्नति और पुष्टि के तथ्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया था। यहां तक कि विभिन्न प्रतिकूल रिपोर्टों के बावजूद उनकी दक्षता सीमा को ध्यान देंने के तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 28 मई, 1987 को पत्र के माध्यम से 7 प्रतिकूल रिपोर्ट/आदेश *दिए* गए थे। इन 7 रिपोर्टों में से कुछ स्पष्ट रूप से 1974 और 1975 के वर्षों से संबंधित हैं। इसके अलावा, रोहतक के पुलिस अधीक्षक और गुड़गांव रेंज के पुलिस महानिदेशक की टिप्पणियों के साथ कारण बताएँ नोटिस की प्रति जैसे विभिन्न दस्तावेजों को आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ता द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस में प्रस्तुत जवाब सरकार को नहीं भेजा गया था। श्री जसवंत सिंह, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने एच. सी. किशन सिंह के निर्देश पर, जिन्होंने रिकॉर्ड लाया है, मेरे सामने कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा कारण दिखाओ नोटिस में प्रस्तुत जवाब सरकार को नहीं भेजा गया था। इस तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में आदेश की वैधता की जांच की जानी चाहिए।

(7) मान लीजिए, याचिकाकर्ता ने 1 अप्रैल, 1985 से दक्षता सीमा को पार कर लिया था। यह भी विवादित नहीं है कि अधिकांश प्रतिकूल रिपोर्टों और दंडों की संख्या 1 अप्रैल, 1985 से पहले की अवधि से संबंधित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को *डॉ. ओम* प्रकाश *गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य और एक* अन्य (1) मामले में दक्षता बार और कानून का शासन पार करने की अनुमति दी गई थी, दक्षता सीमा को पार करने से पहले के अभिलेख को ध्यान में नहीं रखा जा सकता था। इसके अलावा, भले ही यह माना जाता है-इस तर्क के लिए कि दक्षता 'बार' को दबाने से पहले के रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जा सकता है, विभाग 'बासी और अप्रचलित सामग्री पर भरोसा नहीं कर सकता था। बार-बार यह अभिनिर्णीत किया गया है कि अनिवार्य

सेवानिवृत्ति के मामले पर पिछले पाँच से दस वर्षों की रिपोर्टों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। इस मामले में, वर्ष 1969 के बाद के रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया है। इस तरह की पुरानी और पुरानी प्रविष्टियों पर भरोसा करना; सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप्स द्वारा बलदेव राज चड्ढा बनाम भारत संघ और अन्य (2) *और बृज मोहन* सिंह *चोपड़ा बनाम पंजाब के स्टेल* (3) में *घोषित कानून के शासन के विपरीत है। इसके अलावा,* भले ही राज्य के पक्ष में कोई रियायत दी गई हो, कोई भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि अधिकांश प्रतिकूल रिपोर्ट, जिन पर आक्षेपित कार्रवाई के लिए निर्भरता रखी गई है, याचिकाकर्ता को 28, मई 1987 *के* पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया था। सरकार ने प्रतिकूल रिपोर्टों के शीघ्र संचार के लिए निर्देश जारी किए हैं। संचार का घोषित उद्देश्य केवल संबंधित व्यक्ति को निर्धारित समय के भीतर प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाना नहीं है, बल्कि उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करना भी है। तत्काल मामले में, कोई भी स्पष्टीकरण या तो अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है या प्रतिकूल रिपोर्टों के इस तरह के विलंबित संचार के लिए प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मुझे उम्मीद है कि कोई इस मामले को देखेगा और (इस बात पर ध्यान नहीं देगा कि वर्ष 1974 और 1975 की रिपोर्ट/आदेश वर्ष 1987 तक याचिकाकर्ता को क्यों नहीं बताए गए थे)। इस तरह की चूक के लिए अधिकारियों की सराहना नहीं की जा सकती।

(8) श्री जसवंत सिंह विवादित आदेश का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर भरोसा करते हैं लेकिन प्रस्तुत करते हैं कि रिपोर्टों का देर से संचार इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन नहीं है। रिपोर्टों के देर से संचार का तथ्य रिकॉर्ड से स्पष्ट है। हालाँकि, कोई औचित्य सामने नहीं आ रहा है इसलिए इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए।

(9) इसके अलावा, याचिकाकर्ता की सहजता के नकारात्मक पहलू पर विचार करते हुए, यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया गया है,

पुष्टि, पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त और दक्षता सीमा को पार करने की अनुमति भी प्रासंगिक थी। नियम 9,18 के तहत शक्ति का प्रयोग जनहित में किया जाना चाहिए। अंतिम आदेश के कर्तव्य के साथ प्रभारित प्राधिकारी को यह देखना होगा कि क्या कोई अधिकार है या नहीं। अधिकारी का मूल्य स्पष्ट रूप से उसके वेतन के अनुरूप नहीं है। यह सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का संचयी प्रभाव है, जिसे मामले का निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे की नकारात्मक पहलू पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया, सकारात्मक पहलू को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया और इस प्रकार विचार उचित नहीं था।

(10) तदनुसार रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। मामले की परिस्थितियों में, पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

(1) 1988 (6) S.LR 870

(2) 1980 (3) SLR. 1
'(3) AIR1987 SC 948

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा